कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।

संख्या–रा0मे0का0स0/विज्ञप्ति/2025/3234 3234 दिनांक– 19 / 09 /2025

–: विज्ञप्ति :–

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–41/NVHCP/एन0पी0/2023–24/7827 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में वायरल हेपेटाइटिस रोगियों का सतत उपचार जारी रखनें के उद्देश्य से 01 पीयर एजूकेटर की व्यवस्था हेतु धनराशि आवंटित की गई है। मॉडल ट्रीटमेन्ट सेन्टर/ट्रीटमेन्ट सेन्टर में पीयर एजूकेटर/सपोर्ट की सेवाओं हेतु उनके टी0आर0ओ0 एवं अन्य शर्तें/दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

01– पीयर एजूकेटर संविदा/आउटसोर्स की श्रेणी में सम्मिलित नही है।

02– पीयर एजूकेटर/सपोर्ट हेतु ट्रीटमेन्ट सेन्टर के प्रभारी नोडल द्वारा उपयुक्त व्यक्ति को (वर्तमान अथवा पूर्व में हेपेटाइटिस उपचाराधीन रोगी को प्राथमिकता देते हुए) निम्न प्रावधानों के तहत पीयर एजूकेटर नामित किया जायेगा–

- a. पीयर एजूकेटर/सपोर्ट को अधिकतम रू0 10,000/–प्रतिमाह इन्सेन्टिव देय होगा। पीयर एजूकेटर/सपोर्ट का कोई मासिक मानदेय नहीं होगा।
- b. वर्तमान में कार्यरत कोई नियमित अथवा संविदाकर्मी अथवा आउटसोर्स कर्मी पीयर एजूकेटर के रूप में नामित नही किया जायेगा।
- c. पीयर एजूकेटर/सपोर्ट को उपरोक्त इन्सेन्टिव के अतिरिक्त कोई अन्य चार्जेज, शुल्क अथवा भत्ता देय नही होगा।
- d. आगामी वर्ष में भारत सरकार से अनुमोदनोपरान्त ही पीयर एजूकेटर/सपोर्ट की दर/सेवा अवधि निर्धारित होगी।

03– पीयर एजूकेटर/सपोर्ट द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भारत सरकार से प्राप्त टी0आर0ओ0 के अनुसार निम्न होंगी–

- a. पीयर एजूकेटर को सम्बन्धित सेन्टर के नोडल अधिकारी मार्गदर्शन करेगें।
- b. पीयर एजूकेटर एम0टी0सी0/टी0सी0 पर रोगियों के साथ संपर्क का प्रथम सूत्र बनेगें।
- c. पीयर एजूकेटर विजिट रजिस्टर में सभी डाटा प्रविष्टि सुनिश्चित करेगें।
- d. सेन्टर के सभी मरीजों के लिए पीयर एजूकेशन एवं मानसिक–सामाजिक सपोर्ट प्रदान कराना।
- e. ट्रीटमेन्ट सेन्टर पर पंजीकृत मरीजों को चिकित्सालय के भीतर (ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0 में) सहायता प्रदान करगें।
- f. मरीजों के साथ निरंतर उपचार एवं 12 सप्ताह बाद वायरल लोड जांच (SVR) के महत्व के विषय में जानकारी देना।
- g. मरीजों की दवाईयों का ब्यौरा लेना, उनकी निरंतर विजिट एवं ससमय जांच करनें हेतु काउन्सिलिंग करना। मरीजों का फॉलोअप करना एवं आवश्यकतानुसार उनको पुनः उपचार प्रारम्भ हेतु सहायता प्रदान करना।
- h. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की गैर मोजूदगी में डाटा एन्ट्री के कार्य का सम्पादन करना।
- i. नोडट अधिकारी/मेडिकल ऑफिसर द्वारा अन्य कोई भी एन0वी0एच0सी0पी0 सम्बन्धित कार्य।

04– भविष्य में योग्य पीयर एजूकेटर की उपलब्धता होने पर वर्तमान में नामित पीयर एजूकेटर को 01 माह पूर्व नोटिस देकर योग्य पीयर एजूकेटर को ही नामित कर लिया जायेगा।

05– यदि पीयर एजूकेटर की कार्यशैली एवं व्यवहार में कोई भी त्रुटि पायी जाती है तो उसकी सेवाएं 01 माह पूर्व नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

05– उक्त पद के स्थायी किये जाने हेतु कोई वैधानिक कार्यवाही/दावा मान्य नहीं होगा।

अतएव उपरोक्त नियम व शर्तो के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक/योग्यता सम्बंधी अभिलेखों की एक–एक स्वप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा करा दें। शार्टलिस्टिड अभ्यर्थियों को दूरभाष द्वारा सूचित किया जायेगा। शार्टलिस्टिड अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षाणिक/योग्यता सम्बंधी अभिलेखों की मूल प्रति एवं 01 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो के साथ **दिनांक 25.09.2025** को प्रातः 10.00 बजे प्रशासनिक भवन में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। समिति द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन कर उसी दिन नोटिस बोर्ड पर लिस्ट चस्पा कर दी जायेगी।

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
सहारनपुर।

Principal
Govt. Medical College
Saharanpur (U.P.)

पत्र संख्या–रा0मे0का0स0/विज्ञप्ति/2025/3234 3234 तद् दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटस नियंत्रण कार्यक्रम, चि0 एवं स्वा0 महानिदेशालय, लखनऊ।
3. जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय वायरल हिपेटाइटस नियंत्रण कार्यक्रम, कार्यालय मु0चि0अ0, जनपद सहारनपुर।
4. प्रभारी वेबसाईट, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर को उक्त विज्ञप्ति वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
सहारनपुर।